

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-27/2017/ पी-367/अड़तीस-9-17-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी-11
लखनऊ : दिनांक-29 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली के नियम-06 में निर्धारित प्राविधानों के सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की बैठक दिनांक-25.05.2016 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक-10.06.2016 के दृष्टिगत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-659/ए-321/यू0पी0आर0आर0डी0ए0 /2015, दिनांक-30.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उक्त नियम को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नियम-06 में उल्लिखित प्राविधानों (तालिका के कालम-01) को निम्न तालिका के कालम-02 के अनुसार संशोधित समझा जाय:-

वर्तमान व्यवस्था			संशोधित व्यवस्था		
1			2		
क्र0सं0	पदनाम/पता	अभिकरण में पद	क्र0सं0	पदनाम/पता	समिति में पद
नियम-06					
1.	प्रभारी मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सभापति	1.	प्रभारी मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सभापति
2.	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।	उप सभापति	2.	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।	उप सभापति
3.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव	3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य	4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य	5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य	6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य	7.	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य	8.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
9.	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य	9.	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
10.	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	10.	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11.	प्रोजेक्ट प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेन्सी के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य	11.	प्रोजेक्ट प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेन्सी के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	योजनान्तर्गत स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर	सदस्य	12.	योजनान्तर्गत स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर	सदस्य
13.	योजनान्तर्गत स्टेट कोआर्डिनेटर ऑफ इन्फारमेशन एवं टेक्नोलॉजी	सदस्य	13.	योजनान्तर्गत स्टेट कोआर्डिनेटर ऑफ इन्फारमेशन एवं टेक्नोलॉजी	सदस्य
14.	अपर आयुक्त, परियोजना (तकनीकी),	सदस्य	14.	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।	सदस्य
15.	अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य	15.	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।	सदस्य
16.	मुख्य अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य	16.	मुख्य अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
			17.	मुख्य कार्य पालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।	सदस्य।

2- उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

एन०एस०रवि
अपर मुख्य सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-27/2017/ पी-367 (1)/अड़तीस-9-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निजी सचिव, विशेष सचिव (जुहैर बिन सगीर), उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 8- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 10- स्टेट क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 11- स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ इन्फारमेशन एवं टेक्नोलॉजी (पीएमजीएसवाई), उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-659/ए-321/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015, दिनांक-30.05.2017 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधन से कार्यालय निबन्धक समितियों को अवगत कराते हुये यथोचित कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।
- 13- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 14- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 15- मुख्य अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 16- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।